संख्या-105/2025/191के-2/22-3-2024-17(1131)/23

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवंसुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेश भुर्जी पुत्र श्री छेदा, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक 24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेश भुर्जी (बंदी संख्या-25943) पुत्र श्री छेदा, जो शिवरी, थाना-हरियावॉ, जनपद-हरदोई का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 28/29.06.1990 को अपने 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता व रायफल से गोली मारकर हनुमान सिंह व उनके पुत्र ग्राम प्रधान विमलेश एवं बाबू लोहार सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया और लूटपाट कर सामान, नकदी, आभूषण आदि लेकर चले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-603/1990 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 हरदोई के आदेश दिनांक 23.11.2005 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक 18 वर्ष, 05 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष, 11 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु रजि0 नं0-01 के अनुसार 67 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने तथा बंदी बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 28/29.06.1990 को अपने 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता व रायफल से गोली मारकर हनुमान सिंह व उनके पुत्र ग्राम-प्रधान विमलेश एवं बाबू लोहार सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया और लूटपाट कर सामान, नकदी, आभूषण आदि ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेश मुर्जी पुत्र छेदा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेश भुर्जी (बंदी संख्या-25943) पुत्र श्री छेदा, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-84(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-105/2025/191के-2/22-3-2024-17(1131)/23

दिनांक 09 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेश भुर्जी (बंदी संख्या-25943) पुत्र श्री छेदा, जो शिवरी, थाना-हरियावॉ, जनपद-हरदोई का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 28/29.06.1990 को अपने 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता व रायफल से गोली मारकर हनुमान सिंह व उनके पुत्र ग्राम प्रधान विमलेश एवं बाबू लोहार सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया और लूटपाट कर सामान, नकदी, आभूषण आदि लेकर चले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-603/1990 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04 हरदोई के आदेश दिनांक 23.11.2005 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक 18 वर्ष, 05 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष, 11 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु रजि0 नं0-01 के अनुसार 67 वर्ष है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने तथा बंदी बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 28/29.06.1990 को अपने 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कांता व रायफल से गोली मारकर हनुमान सिंह व उनके पुत्र ग्राम-प्रधान विमलेश एवं बाबू लोहार सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 05 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया और लूटपाट कर सामान, नकदी, आभूषण आदि ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेश मुर्जी पुत्र छेदा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in